प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.........153/2022.........दिनांक.........30/4/2022.........
2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें – 7, 7ए......................
   (2) अधिनियम – ...भा.द.सं. ....धारायें :–....120बी ....
   (3) अधिनियम ....धारायें :–..................................
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या...580.........समय.........2-40 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 29.04.2022............ शुक्रवार ....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 25.04.2022 समय–2.40 पी.एम.......
4. सूचना की किस्म :– हस्तलिखित
5. घटनास्थल:– नब्बू खां का मार्केट, नाचना स्थित परिवादी का किराये का कमरा
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – ब्यूरो चौकी जैसलमेर से उत्तर दिशा, करीबन 130 किलोमीटर
   (ब) पता :– कस्बा नाचना जिला जैसलमेर।
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी / सूचनाकर्ता
   (अ) नाम :– श्री चैनाराम
   (ब) पिता / पति का नाम :– श्री बालाराम
   (स) जन्म तिथि / वर्ष :– 47 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी...................
   (र) व्यवसाय :– खेती एवं व्यापार
   (ल) पता :– ग्राम पोस्ट सत्याया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

   (1) श्री अरूण कुमार चाहर पुत्र श्री अवतार सिंह जाति जाट उम्र 37 वर्ष, निवासी पश्चिमी जौहड़ी ग्राम पिचानवां खुर्द पोस्ट पिचानवां तहसील सूरजगढ जिला झुन्झूनू हाल निवासी बी–208, मनीष गार्डन के पीछे, सादुलगंज, बीकानेर हाल सहायक कृषि अधिकारी, सिंचित क्षैत्र विकास, इगानप बीकमपुर मु0 चारणवाला जिला बीकानेर।

   (2) श्री वीणाराम पुत्र श्री मानसिगाराम जाति मेघवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अवाय तहसील पोकरण जिला जैसलमेर पैशा व्यापार फर्म मां दुर्गा एग्रो सेन्टर नाचना जिला जैसलमेर
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण – कोई विलम्ब नही
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य– रिश्वती राशि 25,000 रू.
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवा मै,

श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस

भ्र0नि0 ब्यूरो जैसलमेर,

विषय, भ्रष्ट अधिकारी व दलाल को पकडाने के संबन्ध मै

महोदय,

निवेदन है की मै चैनाराम S/O बालाराम उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट सत्याया तह0 पोकरण जिला जैसलमेर का रहने वाला हूँ मेरा चक 2 M.T.D. मै खातेदारी जमीन है जिसमै वर्ष 2017–18 मै 100×100 फुट की पक्की डिग्गी कृषि विभाग बिकमपूर सै 300000 रू0 कि स्वीकृत हुई थी जिस पर मैने अपनी जमीन के कागज ओन लाईन करवा कर कृषि विभाग के कहने पर मैने 100 × 100 कि डिग्गी बनादी पकी इस डिगी के पेटे कुल राशी 3,00000/रू पास कराने के बदले मै कृषि विभाग के अधिकारी श्री अरूण कुमार ने अपने दलाल श्री विणाराम के द्वारा 1,00000/रू रिशवत कि मांग की मेरे द्वारा विनती करने पर दलाल विणाराम ने 80,000/रू0 मै तय किया जिसके बाद मै दो किस्तो मै कुल राशी 3,00000/रू0 मेरे खाते मै जमा हो गये श्री विणाराम व अरूण कुमार के दबाव बनाने पर मजबूरी मै मेरे द्वारा 50,000/रू रिश्वत राशि इन को दी जा चुकी है।

अब श्री अरूण कुमार एवं उसका दलाल विणाराम मेरे पर शेष रिश्वत राशि का दबाव बना रहे है। मै मेरे जायज काम के लिये श्री अरूण कुमार व दलाल विणाराम को शेष 30,000/ नहीं देना चाहता हूँ। मेरा इन दोनों से को पूरानी उधार लेन देन बाकी नहीं है

मैरी रिर्पोट पर कानूनी कार्य वाही करावे।

ता0 25/4/2022

भवदीय

चैनाराम

(चैनाराम फोन न0 9649871547)

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 25/04/22 को वक्त 2.40 पी.एम. बमुकाम ACB चौकी जैसलमेर बतौर टीम सदस्य प्र0स0 80/18 ACB CPS जयपुर के समक्ष मन पु0नि0 अनिल शर्मा के समक्ष श्री शेरा राम कानि0 ड्राईवर मय एक व्यक्ति के उपस्थित हुआ व शेराराम कानि0 ड्रा0 ने बताया कि उक्त व्यक्ति रिश्वत राशि मांगने की लिखित शिकायत लेकर आया है। जिस पर उक्त व्यक्ति से पूछने पर अपना नाम चैनाराम S/O बालाराम जाति मेघवाल उम्र 47 निवासी सत्याया पुलिस थाना नाचना होना बताया व श्री चैनाराम ने यह लिखित रिपोर्ट पेश की मजीद दरियाफ्त पर चैनाराम ने रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होना व रिपोर्ट में लिखे तथ्य सही होना बताया दरयाफ्त पर श्री चैनाराम ने यह भी बताया कि पूर्व में उक्त डिग्गी निर्माण की प्रथम किश्त की राशि दो लाख रूपये माह अप्रेल 2021 में प्राप्त होने के 10–15 दिन बाद ही श्री अरूण कुमार कृषि विभाग बीकमपुर के अधिकारी व उसके दलाल श्री वीणाराम ने 50,000 की रिश्वत राशि दबाव बनाकर प्राप्त कर ली थी डिक्की निर्माण पूरा होने के बाद द्वित्तीय किश्त कि राशि एक लाख रूपये भी लगभग 2–3 दिन पहले मेरे खाता मे जमा हो चुके है उसके बाद से ही श्री अरूण कुमार व उसका दलाल श्री वीणाराम शेष रिश्वत राशि 30,000 देने के लिए दबाव बना रहे है। मै उक्त दोनो को रिश्वत राशि 30,000 रूपये नहीं देना चाहता व रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं चूकि मामला PC ACT 2018 की परिधि में आने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाना आवश्यक होने से श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र0 नि0 ब्यूरो जोधपुर से जरिये मोबाईल सम्पर्क स्थापित कर रहबरी हासिल की जाकर निर्देशानुसार मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाकर

अग्रीम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 25.04.2022 को वक्त 2.52 पीएम पर मन अनिल शर्मा निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री चैनाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य एवं परिवादी श्री चैनाराम से पूछताछ मे प्राप्त तथ्यो के संबंध मे हालात श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस ब्रनिब्यूरो जोधपुर को जरिये मोबाईल फोन अर्ज किये गये। जिस पर चौकी प्रभारी श्री अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस के अवकाश मे होने के कारण परिवादी की रिपोर्ट पर पीसी एक्ट के तहत मांग सत्यापन व अग्रिम कार्यवाही करने हेतु श्रीमान द्वारा निर्देशित किया गया। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा चौकी के रोजनामचा आम मे हालात अंकित कर चार्ज रोजनामचा आम स्वंय के जिम्मे लेकर निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दिनांक 25.04.2022 को वक्त 3.00 पीएम पर गोपनीय रूप से रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर मे उपस्थित श्री किसनाराम कानि0 नं0 238 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया। दिनांक 25.04.2022 को वक्त 3.15 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर के मालखाना इंचार्ज श्री जेठाराम हैड कानि 53 से मालखाना से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया गया। हाजिर परिवादी श्री चैनाराम व श्री किसनाराम कानि. को इस डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की प्रक्रिया समझाई गई। दिनांक 25.04.2022 को वक्त 4.30 पी.एम. पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री किसनाराम कानि 238 को सुपुर्द कर परिवादी श्री चैनाराम के साथ जाकर उसकी वार्ता आरोपीगण श्री अरुण कुमार एवं दलाल श्री वीणाराम से अपनी खातेदारी जमीन पर डिग्गी निर्माण, एवं पूर्व मे दी गई रिश्वती राशि तथा बकाया रिश्वती राशि के संबंध में करवा कर उक्त वार्तालाप को इस डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री चैनाराम के साथ श्री किसनाराम कानि0 238 को मौजा नाचना–बिकमपुर की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 26.04.2022 वक्त 10.29 ए.एम. पर श्री किसनाराम कानि. 238 ने मन निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि नाचना पहुंचकर परिवादी श्री चैनाराम को आरोपी श्री अरुण कुमार की लोकेशन मालूम करने बाबत कहने पर उसके द्वारा प्रयास करने के उपरान्त आज मुझे बताया हैं कि उसने दलाल श्री वीणराम से जरिये मोबाईल वार्ता कर आरोपी अरुण कुमार की लोकेशन के बारे मे मालूमात किया तो दलाल श्री वीणाराम ने उसे बताया कि श्री अरुण कुमार सीधी आपसे बात नही करेगें, उन्होने लेन–देन के लिये मुझे कह रखा हैं। परिवादी आरोपी श्री अरुण कुमार की लोकेशन पता करने का प्रयास कर रहा हैं। दिनांक 26.04.2022 को वक्त 11.11 ए.एम पर बाद इन्तजार मन निरीक्षक पुलिस ने जरिये मोबाईल फोन श्री किसनाराम के मोबाईल पर वार्ता कर हिदायत की कि परिवादी श्री चैनाराम को अपने स्तर पर दलाल श्री वीणाराम के मार्फत आरोपी श्री अरुण कुमार की लोकेशन का पता करने हेतु हिदायत करें ताकि रिश्वती राशि की मांग सत्यापन की कार्यवाही की जा सकें। दिनांक 26.04.2022 को वक्त 12.41 पी.एम पर श्री किसनाराम कानि. 238 ने मन निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि परिवादी श्री चैनाराम ने अपने स्तर पर आरोपी श्री अरुण कुमार की लोकेशन मालूमात की तो आरोपी श्री अरुण कुमार नाचना मे उपस्थित नही होना पाया गया तथा उसके नाचना वापस आने के संबंध मे कोई जानकारी प्राप्त नही हुई। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने श्री किसनाराम को हिदायत की कि आप परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत करें एवं आरोपी अरुण कुमार से जब भी सम्पर्क हो तो वह मन निरीक्षक पुलिस अथवा किसनाराम कानि अथवा शेराराम कानि. चालक के मोबाईल फोन पर सम्पर्क कर समय पूर्व सूचित करे ताकि रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु डिजिटल वॉयस रिकार्डर कानि. श्री किसनाराम के साथ भिजवाया जा सकें। तत्पश्चात श्री किसनाराम कानि. को परिवादी को मौके पर ही छोडकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर मे आने बाबत निर्देशित किया गया। दिनांक 26.04.2022 को वक्त 4.35 पी.एम पर श्री किसनाराम कानि. 238 मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर के ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर मे उपस्थित आया। कानि. श्री किसनाराम ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैने परिवादी श्री चैनाराम को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर पाबंद कर मौके पर ही छोड दिया हैं। तत्पश्चात डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अपनी

अभिरक्षा मे रखा गया। दिनांक 27.04.2022 को वक्त 6.22 पी.एम. पर श्री शैराराम कानि. चालक ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी श्री चैनाराम का उसके पास फोन आया हैं, फोन मे परिवादी श्री चैनाराम ने बताया कि आरोपी श्री अरुण कुमार आज रात को नाचना आ रहा हैं व कल सुबह 7–8 ए.एम के बाद वह फिल्ड मे चला जायेगा, आप श्री किसनाराम कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर तुरन्त नाचना भेजो। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने श्री किसनाराम कानि. को बुलाकर स्वयं की अभिरक्षा मे रखा हुआ डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर निर्देशित किया कि रात्रि होने वाली हैं तथा अभी नाचना के लिये कोई साधन भी नही हैं इसलिये आप श्री शैराराम कानि. चालक एवं श्री संग्रामसिह कानि. को साथ लेकर निजी वाहन से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु नाचना पहुंच परिवादी श्री चैनाराम से सम्पर्क करें। दिनांक 27.04.2022 को वक्त 6.50 पी.एम पर श्री किसनाराम कानि. 238 को मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, श्री संग्रामसिह कानि. एवं श्री शैराराम कानि. चालक को आवश्यक हिदायत कर निजी वाहन से रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु रवाना नाचना किया गया। दिनांक 27.04.2022 वक्त 10.36 पी.एम पर श्री किसनाराम कानि. ने जरिये मोबाईल फोन मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मै नाचना पहुंच गया हुं परिवादी श्री चैनाराम हमें नाचना फांटा पर ही मिल गया परिवादी श्री चैनाराम ने आरोपी श्री अरुण कुमार की लाकेशन मालूमात करने बाबत दलाल श्री वीणाराम से मोबाईल पर वार्ता की गई तो दलाल श्री वीणाराम ने परिवादी श्री चैनाराम को मोबाईल पर बताया कि आरोपी अरुण कुमार नाचना पहुंच गये हैं, अभी रात्रि ज्यादा हाने से आपसे वार्ता नही करेगें कल सुबह जल्दी आ जाना मै श्री अरुण कुमार से आमने–सामने बात करवा दूगां, फिर श्री अरुणकुमार सुबह 7–8 बजे के बाद फिल्ड मे चले जायेगे। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री किसनाराम को आवश्यक गोपनीय हिदायत की गई। दिनांक 28.04.2022 को वक्त 7.30 ए.एम पर श्री किसनाराम कानि. ने मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता कर अवगत करवाया कि परिवादी श्री चैनाराम को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु आरोपी श्री अरुण कुमार के रहवास पर भेजा गया। कुछ समय बाद परिवादी श्री चैनाराम ने वापस आकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ कानि. को सुपुर्द किया जिस पर मन कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मौखिक बताया कि मेरी व आरोपी श्री अरुण कुमार कृषि अधिकारी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई हैं इस वार्तालाप के दौरान श्री अरुण कुमार ने 25,000/– रुपये की रिश्वत राशि उनके दलाल श्री वीणाराम को देने के लिये कहा हैं, जो वार्तालाप इस डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हैं। तत्पश्चात श्री किसनाराम कानि. ने परिवादी श्री चैनाराम की मन निरीक्षक पुलिस से वार्ता करवाई तो परिवादी ने मोबाईल फोन पर मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि वार्तालाप के दौरान श्री अरुण कुमार ने पूर्व मे रिश्वत राशि 80,000/– रुपये देना तय होना व जिसमे से 50,000/– रुपये दलाल श्री वीणाराम के मार्फत श्री अरुण कुमार को पूर्व मे प्राप्त होना व 30,000/– रुपये बकाया होना, तथा परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने की विनती करने पर आरोपी श्री अरुण कुमार द्वारा रिश्वती राशि 25,000/– रुपये दलाल श्री वीणाराम या श्री माधुराम को देने हेतु कहना तथा उक्त रिश्वती राशि 25,000/– रुपये कल–परसो देने हेतु कहना इत्यादि तथ्य बताये। साथ ही परिवादी ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि मै आज ही दलाल श्री वीणाराम से मिलुगा जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री चैनाराम को दलाल श्री वीणाराम से मिलकर वार्ता कर उक्त वार्ता को भी रिकॉर्ड कर लाने की हिदायत की गई। उक्त के संबंध मे श्री किसनाराम कानि. को भी हिदायत कर मन निरीक्षक पुलिस को पुनः अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 28.04.2022 को वक्त 10.26 ए.एम पर श्री किसनाराम कानि. ने मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता कर अवगत करवाया कि मै व परिवादी श्री चैनाराम नाचना मे उसकी जूते चप्पल की दुकान पर बैठे थे तब अचानक आरोपी का दलाल श्री वीणाराम परिवादी की दुकान पर आ गया जिस पर मैने परिवादी को गोपनीय रुप से इशारा कर दुकान से बाहर बुलाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री चैनाराम को सुपुर्द किया। कुछ समय बाद परिवादी श्री चैनाराम एवं

दलाल श्री वीणाराम दोनो परिवादी की दुकान से साथ–साथ बाहर निकले, दलाल श्री वीणाराम मोटर साईकिल लेकर चला गया तथा परिवादी श्री चैनाराम ने मेरे पास आकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड सुपुर्द किया जिसे मैने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी दलाल वीणाराम से वार्ता हो गई हैं, वार्ता के दौरान श्री वीणाराम ने 50,000/– रुपये पूर्व मे प्राप्त रिश्वती राशि आरोपी श्री अरुण कुमार को पहुंचाना व अब रिश्वती राशि 25,000/– रुपये श्री वीणाराम को आरोपी श्री अरुण कुमार के कहेनुसार देने की बात तय हुई हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री किसनाराम कानि. को मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, परिवादी व शेष जाब्ता को हमराह लेकर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुंचने की हिदायत दी गई। दिनांक 28.04.2022 को वक्त 01.15 पी.एम पर श्री किसनाराम कानि. 238 मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर, श्री शेराराम कानि. चालक व श्री संग्रामसिह कानि. तथा परिवादी श्री चैनाराम मय निजी वाहन के उपस्थित ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर आये। श्री किसनाराम कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर उपरोक्तानुसार हालात अर्ज किये गये। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आरोपी श्री अरूण कुमार व परिवादी चैनाराम के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री अरूण कुमार द्वारा रिश्वती राशि 80,000/– रुपये की पूर्व मे मांग करना जिसमे से 50,000/– रुपये दलाल श्री वीणाराम के मार्फत पूर्व मे प्राप्त होना स्वीकार करना व 30,000/– रुपये बकाया होना कहना, परिवादी चैनाराम द्वारा रिश्वत राशि कम करने की विनती करने पर रिश्वती राशि 25,000/– रुपये दलाल श्री वीणाराम या श्री माधुराम को देने हेतु कहना इत्यादि तथ्य रिकॉर्ड होना पाये गये। तत्पश्चात आरोपी के दलाल श्री वीणाराम व परिवादी चैनाराम के मध्य हुई वार्ता को सुना गया तो दलाल श्री वीणाराम द्वारा पूर्व मे प्राप्त रिश्वती राशि 50,000/– रुपये आरोपी श्री अरुण कुमार को पहुंचाना व रिश्वती राशि 25,000/– रुपये देने पर श्री वीणाराम द्वारा आरोपी श्री अरुण कुमार को पहुंचाना इत्यादि तथ्य रिकॉर्ड होना पाये गये। उक्त रिकॉर्डेड दोनो वार्तालापो से परिवादी चैनाराम द्वारा आरोपी श्री अरूण कुमार व उसके दलाल श्री वीणाराम के विरूद्ध प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों की पुष्टि होती है। पूछताछ पर परिवादी ने बताया कि मैंने दोनो आरोपीगणो को कल–परसों तक रूपयो की व्यवस्था करके देने हेतु कह दिया है परन्तु कल तक मै रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लूंगा। दिनांक 28.04.2022 को वक्त 02.50 पी.एम. पर दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी बाबत् एक तहरीर कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जैसलमेर के नाम से जारी कर श्री भंवरलाल कानि. 309 को जरिये सरकारी वाहन के रवाना किया गया। दिनांक 28.04.2022 को वक्त 03.30 पी.एम. पर श्री भंवरलाल कानि. 309 कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जैसलमेर गये हुये दो स्वतंत्र गवाहान लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये, जिनका परिचय प्राप्त किया तो उन्होनें क्रमशः अपना नाम श्री चन्द्रवीरसिह पुत्र श्री गणपतसिह भाटी, जाति हजूरी उम्र 27 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी 53 कमला कुंज, गांधी कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली जिला जैसलमेर हाल– पशुधन सहायक, कार्यालय उपनिदेशक, बहुदेश्य पशु चिकित्सालय जैसलमेर मोबाईल नम्बर 8386088508 एवं श्री रवि चौधरी पुत्र श्री सत्येन्द्र चौधरी, जाति जाट उम्र 25 साल पैशा नौकरी, निवासी जी–116–117 दरियानाथ बावडी पुलिस थाना कोतवाली जिला जैसलमेर हाल– पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9351391076 होना बताया। दिनांक 28.04.2022 को वक्त 03.40 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में परिवादी श्री चैनाराम व दोनो गवाह उपस्थित है, जिनका परिवादी श्री चैनाराम से आपस मे परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा पूर्व में डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी चैनाराम व आरोपी अरूण कुमार तथा परिवादी चैनाराम व दलाल वीणाराम के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करवाई गई थी, को सुनाया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर इस ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी सहमति प्रदान करते हुए परिवादी चैनाराम के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 28.04.2022 को वक्त 03.50 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनाराम व दोनो मौतबिरान ब्यूरो

कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित है। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस के पास है। इस डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी चैनाराम व आरोपी अरूण कुमार तथा परिवादी चैनाराम व दलाल वीणाराम के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताए दिनांक 28.04.2022 रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त दोनो वार्ताओ को विभागीय लेपटॉप की माध्यम से रूबरू गवाहान व परिवादी के पृथक–पृथक सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप अलग से तैयार करना शुरू कर, विस्तृत फर्द अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त दोनो वार्तालापो की विभागीय लेपटाप मे कॉपी की जाकर लेपटॉप की मदद से तीन सिडिया तैयार कर, उक्त तीनो सीडियो पर संबंधितांन के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त तीनो सिडियो मे से एक सीडी को मूल मानकर कपडे की थैली मे डालकर थैली की सिलाई कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को सील्ड मोहर किया गया। दो सिडियो को डब मानकर खुला रहने दिया गया। उक्त तीनो सिडियो को श्री जेठाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी के कहे अनुसार आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000 रूपये की व्यवस्था करने पर कल दिनांक 29.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजित किये जाने का निर्णय लिया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री चन्द्रवीरसिह व श्री रवि चौधरी को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर कल दिनांक 29.04.2022 को प्रातः 5.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। साथ ही हाजिर ब्यूरों स्टाफ को भी उपरोक्त निर्धारित समय पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु पाबंन्द किया गया। दिनांक 28.04.2022 को वक्त 7.30 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनाराम ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि मुझे रिश्वती राशि की व्यवस्था करनी हैं इस हेतु मुझे अपने घर नाचना जाना पडेगा मै आपको कल सुबह जल्दी 95 वाले पुलिये पर मिल जाउगां। जिस पर श्री किसनाराम कानि. को परिवादी श्री चैनाराम के हमराह आरोपी श्री अरुण कुमार व दलाल श्री वीणाराम की लोकेशन पर निगाह रखने की हिदायत कर रवाना नाचना किया गया। दिनांक 28.04.2022 को वक्त 7.35 पी.एम.पर दिनांक 29.04.2022 को प्रातः 5.00 ए. एम. पर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन ब्यूरों कार्यालय जैसलमेर में लाने हेतु श्री शेराराम कानि चालक 302 को पाबन्द कर रूखसत किया गया।

दिनांक 29.04.2022 को वक्त 5.05 ए.एम. पर पुर्व में पाबन्दशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री चन्द्रवीरसिह व श्री रवि चौधरी ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आये है। ब्यूरो स्टाफ भी पाबन्दशुदा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है। तत्पश्चात मालखाना प्रभारी श्री जेठाराम हैड कानि 53 को हिदायत की गई कि वह फिनोफथलीन पाउडर की कागज की पुडिया बनाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ लेवे। दिनांक 29.04.2022 को वक्त 5.15 ए.एम. पर पुर्व में पाबन्दशुदा कानिस्टेबल चालक श्री शेराराम 302 टेक्सी स्टेण्ड जैसलमेर से एक प्राईवेट वाहन साथ लेकर आया। दिनांक 29.04.2022 को 5.35 ए.एम. पर मन् अनिल शर्मा निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता जेठाराम हैड कानि. 53, मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, श्री दुर्गसिंह नम्बर 498, श्री संग्राम सिंह नंबर 536, श्री भंवरलाल कानि 309, श्री शिवप्रताप कानि. 541, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रवीरसिह व श्री रवि चौधरी के जरिये सरकारी वाहन मय श्री शेराराम चालक नंबर 302, व प्राईवेट वाहन के फिनोफथलीन पाउडर की कागज की पुडिया, सोडियम कार्बोनेट, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के रवाना मौजा नाचना की तरफ रवाना होकर नाचना से 13 किमी पहले 1295 आरडी आइजीएनपी नहर की पटरी पर पहुँचा। जहां पर पूर्व से पाबंद्व सुदा परिवादी श्री चैनाराम एवं श्री किसनाराम कानि. 238 मय मोटरसाईकिल के उपस्थित मिले, जिसे हमराह लेकर 1295 आरडी से रवाना होकर करीब 1.5 किमी दूर 1291 आरडी आइजीएनपी नहर की पटरी के माईल स्टोन के पास पहुंच वाहनो को साईड मे रोका गया। दिनांक 29.04.2022 को वक्त 7.20 ए.एम पर रुबरु मौतबिरान मन् अनिल शर्मा निरीक्षक पुलिस एसीबी जैसलमेर को परिवादी चैनाराम ने अपनी खातेदारी जमीन चक 2 एम.टी.डी. मे वर्ष 2017–18 मे 100X100 फिट की पक्की डिग्गी कृषि विभाग बीकमपुर से 3.00 लाख रुपये स्वीकृत होने

पर पक्की डिग्गी बनाने के पश्चात प्राप्त हुवें उक्त 3.00 लाख रुपये के भुगतान की एवज में कृषि विभाग के अधिकारी आरोपी श्री अरुण कुमार द्वारा अपने दलाल श्री वीणाराम के मार्फत 50,000/– रुपये रिश्वती राशि पूर्व मे प्राप्त कर शेष रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 25,000/– रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी चैनाराम ने 500–500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रू. निकाल कर पेश किये। नोटों के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये। तत्पश्चात ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर के मालखाना प्रभारी हैड कानि श्री जेठाराम नं0 53 द्वारा साथ में लाई गई फिनोफथलीन पाउडर की कागज की पुडिया को मंगवाया गया। तत्पश्चात एक अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटो को उस पर रखकर नोटो के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर कार्यालय हाजा के कानि श्री भंवरलाल कानि 309 से लगवाया गया। परिवादी श्री चैनाराम की जामा तलाशी गवाह श्री चन्द्रवीर सिंह से लिवाई जाकर उनके बदन पर पहने हुए कपडों एवं उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी को अपना मोबाईल अपने पास ही रखने की ईजाजत दी गई। इसके पश्चात श्री भंवरलाल कानि 309 द्वारा सीधे ही फिनोफथलीन पाउडरयुक्त राशि 25,000/– रू. के उक्त नोट परिवादी श्री चैनाराम के पहने हुए कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब में रखवाई गई व परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुए तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही यह रिश्वती राशि जेब से निकाल कर आरोपी को देवें, रिश्वती राशि देने के पश्चात उक्त रिश्वती राशि को आरोपी द्वारा रखने के स्थान का ध्यान रखें, तथा रिश्वत की राशि देने के पश्चात अवसर पाकर अपने मोबाईल फोन से मुझ निरीक्षक पुलिस के मोबाईल अथवा ब्यूरो स्टाफ के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके अथवा अपने पहने हुए गमछे से अपना मुह पोछकर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने का इशारा करें। परिवादी को हिदायत की गई कि वह रिश्वती राशि देने के पूर्व व पश्चात् आरोपी से अपना हाथ भी नहीं मिलावें। अखबार जिन पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उस अखबार तथा कागज की पुडिया में उपलब्ध फिनोफथलीन पाउडर का पूर्ण उपयोग किया जाने से इस कागज की पुडिया को भी रुबरु गवाहान के श्री भंवरलाल कानि 309 से जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट का दृष्टान्त देने के लिये सरकारी वाहन में रखी हुई पानी की एक बोतल मंगवाई जाकर साफ कांच के एक गिलास में पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार कर हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन/अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री भंवरलाल कानि 309 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबा कर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, इस बाबत परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को छुएगा, तो उसके हाथों को पानी व सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलाने पर घोल का रंग इसी तरह गुलाबी हो जायेगा। इस दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये कांच के गिलास के गुलाबी घोल को वहीं मिट्टी की जमीन पर डलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री भंवरलाल कानि 309 के हाथ, चम्मच व कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, ट्रेप उपयोग की सामग्री कीप, पव्वे, चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को छोडकर ट्रेप दल के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर ब्यूरो स्टाफ के पास परिचय पत्र, मोबाईल फोन के अलावा कोई भी राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। मुझ निरीक्षक पुलिस ने अपने पास निजी खर्चे हेतु 1000 रू. रखे। ट्रेप दल के सदस्यों को आरोपी द्वारा रिश्वत लिये जाने के पश्चात सूचना देने हेतु परिवादी द्वारा किया जाने वाला मुर्करर इशारा बताया जाकर हिदायत दी गई कि वे सभी परिवादी के इशारे का ध्यान रखे, यथा सम्भव रिश्वती राशि के लेनदेन को भी देखने अथवा वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। ट्रेप दल के समस्त सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले कानि. श्री भंवरलाल को मौके पर ही छोडा जाकर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुचने की हिदायत की गई। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 29.04.2022 को वक्त 8.55 ए.एम पर श्री किसनाराम कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर

सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री चैनाराम के साथ मय मोटरसाईकिल के रिश्वती राशि लेन–देन के समय वार्ता को रिकॉर्ड कर लाने हेतु दलाल श्री वीणाराम की सकूनत की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरो दल व दोनो गवाहान को साथ लाये वाहनो से परिवादी श्री चैनाराम के पीछे–पीछे रवाना हुआ। दिनांक 29.04.2022 को वक्त 09.30 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाहान व ट्रेप दल के आरोपी दलाल श्री वीणाराम की नाचना स्थित फर्म मां दुर्गा एग्रो सेन्टर के नजदीक पहुंचे तथा उसके दुकान के आस पास ही समस्त ब्यूरो दल अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे का इन्तजार मे मुकिम हुए।

दिनांक 29.04.2022 को वक्त 02.47 पी.एम. पर कानि. श्री किसनाराम ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन बताया कि परिवादी श्री चैनाराम ने अपने स्तर पर आरोपी श्री अरूण कुमार सहायक कृषि अधिकारी एवं दलाल श्री वीणाराम की लोकेशन पता कर मुझे बताया है कि श्री अरूण कुमार फिल्ड में ग्राम मदासर, भारेवाला, भारमसर की तरफ जाना तथा सह आरोपी श्री वीणाराम आज अपने किसी कार्य से नाचना से बाहर गया हुआ जो करीब 4.00 पीएम तक नाचना आयेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री किसनाराम को हिदायत की गई कि दलाल श्री वीणाराम के नाचना उपस्थित आने पर तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस को सूचित कर रिश्वती राशि लेन देन हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी श्री चैनाराम को सुपुर्द कर आरोपी दलाल श्री वीणाराम के पास भेजे। तत्पश्चात कानि. श्री भंवरलाल नंबर 309 से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया गया तो श्री भंवरलाल ने बताया कि वह अभी नाचना फांटा पर मौजूद है उसे अभी जैसलमेर के लिए कोई साधन नही मिला है। जिस पर नाचना फांटा पर मौजूद श्री शेराराम कानि.चालक, श्री दुर्गसिंह कानि0 मय सरकारी वाहन को सूत्र सूचना अनुसार आरोपी श्री अरुण कुमार की तलास हेतु कानि. श्री भंवरलाल को साथ लेकर हल्का मदासर, भारेवाला, भारमसर की तरफ रवाना होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 29.04.2022 को वक्त 04.03 पी.एम. पर मौतबिरान के रूबरू श्री किसनाराम कानि. ने नब्बुखां मार्केट नाचना के बाहर आकर मन निरीक्षक पुलिस को हाथ के ईशारे से बुलाकर बताया कि परिवादी चैनाराम पुत्र श्री बालाराम जाति मेघवाल उम्र–47 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट सत्याया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ने अपने मोबाईल संख्या 9649871547 से मेरे मोबाईल फोन पर पुर्व में निर्धारित ईशारा मिसकॉल किया अर्थात आरोपी दलाल श्री वीणाराम मेघवाल ने रिश्वती राशि प्राप्त कर ली है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने ब्यूरो दल के सदस्यो को तुरन्त एकत्रित कर किसनाराम के साथ नाचना स्थित नब्बुखा मार्केट मे परिवादी के किराये के कमरे पर पहुचां। जहॉ उक्त कमरे में प्रवेश करने पर सामने एक चारपांई पर परिवादी श्री चैनाराम के साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। परिवादी श्री चैनाराम को पूर्व में दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, जिसको बाद मे सुन सुन कर फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अलग से तैयार करने का निर्णय लिया गया। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री चैनाराम से चारपाई पर उसके साथ बैठे व्यक्ति के बारे मे पूछने पर परिवादी ने बताया कि यही श्री वीणाराम हैं जिसने अभी–अभी मेरे से श्री अरुणकुमार के कहेनुसार रिश्वती राशि 25,000/– लिये हैं जो श्री वीणाराम ने पहने हुए सफेद पायाजामा की बायी जेब मे रखें हैं। तत्पश्चात परिवादी श्री चैनाराम के सामने बैठे व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस ने अपना, ब्यूरो दल तथा मौतबिरान का परिचय देकर उसका परिचय पुछने पर उसने अपना नाम वीणाराम पुत्र श्री मानसिंगाराम जाति मेधवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अवाय तहसील पोकरण जिला जैसलमेर पैशा व्यापार फर्म मां दुर्गा एग्रो सेन्टर नाचना जिला जैसलमेर मोबाईल नम्बर 7023323736 होना बताया। श्री वीणाराम को परिवादी श्री चैनाराम की तरफ इशारा कर रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे मे पुछने पर उसने बताया कि मै श्री चैनाराम को पहचानता हुँ, मैने श्री चैनाराम को एक साल पहले प्लास्टिक तिरपाल उधार दिया था जिसके पेटे बकाया 25,000/– रुपये आज मै श्री चैनाराम से लेने आया था जो आज प्राप्त किये हैं। जिस पर परिवादी श्री चैनाराम ने मौके पर श्री वीणाराम के उक्त कथनो का खडंन करते हुए बताया कि श्री वीणाराम झूठ बोल रहे हैं, श्री अरुण कुमार ने मेरे खेत मे स्वीकृत डिग्गी की अनुदान राशि

3.00 लाख रुपये जारी करने के बदले मे पूर्व मे रिश्वत राशि 80,000/– रुपये की मांग की थी जिसमे से 50,000/– रुपये दलाल श्री वीणाराम के मार्फत श्री अरुण कुमार को पूर्व मे दे दिये थे तथा 30,000/– रुपये बकाया होने पर कल दिनांक 28.04.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान मेरे द्वारा श्री अरुण कुमार से रिश्वत राशि कम करने की विनती करने पर आरोपी श्री अरुण कुमार ने रिश्वती राशि 25,000/– रुपये अपने दलाल श्री वीणाराम को देने हेतु कहा था, उक्त तय सुदा 25,000/– रुपये रिश्वती राशि श्री वीणाराम को दिये हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री वीणाराम को तसल्ली देकर पुनः पूछने पर श्री वीणाराम ने बताया कि मै श्री चैनाराम से प्लास्टिक तिरपाल के पैसे मांगता हुं लेकिन आज उक्त 25,000/– रुपये श्री चैनाराम ने श्री अरुण कुमार सहायक कृषि अधिकारी बीकमपुर जिला बीकानेर को देने हेतु मुझे दिये हैं, जो मैने इनसे प्राप्त कर मेरे पहने हुए पायजामा की साईड की बायी जेब मे रखें हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सह आरोपी श्री वीणाराम की जामा तलासी स्वंतंत्र गवाह श्री चन्द्रवीरसिह से लिवाई गई तो उसके पहने हुए पायजामा की बायी जेब में एक नोटो का बंडल पाया गया। उक्त नोट गवाह श्री चन्द्रवीरसिह के पास ही रहने दिये गये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सह आरोपी श्री वीणाराम को उसके मोबाईल नम्बर 7023323736 से मुख्य आरोपी श्री अरुण कुमार सहायक कृषि अधिकारी से मोबाईल नम्बर 9875115129 एवं 8769751295 पर स्पीकर ऑन कर वार्ता करने हेतु कहा गया जिस पर सह आरोपी श्री वीणाराम द्वारा अपने मोबाईल फोन से श्री अरुण कुमार के उक्त दोनो मोबाईल फोन पर बारी–बारी कॉल किया गया परन्तु आरोपी श्री अरुण कुमार के दोनो मोबाईल नम्बर स्वीच ऑफ आये। तत्पश्चात नाचना स्थित नब्बुखा मार्केट मे परिवादी के किराये का कमरा छोटा होने के कारण बैठने की व्यवस्था नही होने एवं मुख्य बाजार मे स्थित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आगामी कार्यवाही पुलिस थाना नाचना में किया जाने का निर्णय लेकर मन् निरीक्षक पुलिस हमरा ट्रेप दल व सह आरोपी वीणाराम को साथ लेकर साथ लाये गये वाहनों से रवाना होकर पुलिस थाना नाचना पंहुचा। इसी दौरान श्री शेराराम कानि. चालक मय ब्यूरो जाब्ता मय सरकारी वाहन के पूर्व से ही सूत्र सूचना अनुसार आरोपी श्री अरुण कुमार की तलास हेतु हल्का मदासर, भारेवाला, भारमसर की तरफ रवाना किये गये थे, को जरिये मोबाईल ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर आरोपी श्री अरुण कुमार की तलास कर दस्तयाब कर हमराह लाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात थानाधिकारी पुलिस थाना नाचना श्री रमेश ढाका से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना परिसर नाचना मे करने की अनुमति लेकर सह आरोपी श्री वीणाराम के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पुलिस थाना नाचना के कैम्पर से एक बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री वीणाराम के दाहिनी हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया, इस गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच. 2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरे साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री वीणाराम के बांये हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच. 2 अंकित किया गया। इसके पश्चात् श्री वीणाराम की जामा तलाशी गवाह श्री चन्द्रवीरसिह से पुनः लिवाई गई तो उसके पास एक ओपो कम्पनी का एफ–19 ड्युल सिम मोबाईल फोन मॉडल नम्बर सीपीएच 2219, मोबाईल नम्बर 7023323736 एवं 9783950173 पाया गया जिसे

कब्जा एसीबी लिया गया। इसके अतिरिक्त सह आरोपी श्री वीणाराम के बदन पर पहने हुए कपडो मे कोई राशि अथवा वस्तु होना नही पाई गई तथा ना ही कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात सह आरोपी श्री वीणाराम के पहनने हेतु एक लॉअर की व्यवस्था करवाई जाकर उनके पहने हुए सफेद पायजामे को उतरवाया गया। उपरोक्तानुसार साफ कांच के गिलास में विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। उक्त उतरवाये गये सफेद रंग के पायजामे की साईड की बायी जेब जहॉ से रिश्वती राशि बरामद हुई, को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को भी साफ कांच की दो शीशियों में आधा–आधा भर सील चस्पा कर, चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त सफेद पायजामा की बायी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर पायजामा को भी बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर सफेद कपड़े की एक थैली में सिलाई कर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील चस्पा किया गया। मौके पर बरामदा रिश्वती राशि जो कि गवाह श्री चन्द्रवीर सिह के पास पूर्व में रखवाये गये थे, उक्त राशि के नोटो को गवाह चन्द्रवीरसिह के पास ही रहने दिये जाकर दुसरे गवाह श्री रवि चौधरी को पूर्व में बनाई गयी फर्द पेशकशी की एक प्रति देकर उसमें अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान बोल–बोल कर करवाया गया तो फर्द में अंकित 25,000 रू0 के नोटों के नम्बर हुबहू पाये गये। नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये जो निम्न प्रकार हैः–

क्रसं	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट	2 एम.एल. 513020
2.	500 रूपये का एक नोट	0 ए.पी. 179170
3.	500 रूपये का एक नोट	1 डब्ल्यू. ए. 711937
4.	500 रूपये का एक नोट	5 ई. डब्ल्यू 905074
5.	500 रूपये का एक नोट	3 एस.यू. 425193
6.	500 रूपये का एक नोट	2 पी.ए. 838914
7.	500 रूपये का एक नोट	7 ए.पी. 701000
8.	500 रूपये का एक नोट	9 डी.एस. 264869
9.	500 रूपये का एक नोट	4 जी.पी. 039524
10.	500 रूपये का एक नोट	8 इ.वी. 061705
11.	500 रूपये का एक नोट	5 ई.पी. 065804
12.	500 रूपये का एक नोट	4 डब्ल्यू.क्यू. 176945
13.	500 रूपये का एक नोट	3 डब्ल्यू. आर. 807630
14.	500 रूपये का एक नोट	6 एन.वी. 160274
15.	500 रूपये का एक नोट	1 बी.ई. 364061
16.	500 रूपये का एक नोट	1 डी.ए. 030329
17.	500 रूपये का एक नोट	8 ए.क्यू. 657451
18.	500 रूपये का एक नोट	0 ई.एच. 020885
19.	500 रूपये का एक नोट	7 टी.आर. 271230
20.	500 रूपये का एक नोट	5 एल.ई. 529564

21.	500 रूपये का एक नोट	1 सी.एच. 477776
22.	500 रूपये का एक नोट	3 ए.एच. 859658
23.	500 रूपये का एक नोट	4 एच.एच. 014696
24.	500 रूपये का एक नोट	0 डब्ल्यू. एस. 365664
25.	500 रूपये का एक नोट	5 एस.डी. 255697
26.	500 रूपये का एक नोट	2 ई.पी. 617626
27.	500 रूपये का एक नोट	6 डी.जी. 375337
28.	500 रूपये का एक नोट	3 एस.डब्ल्यू. 699166
29.	500 रूपये का एक नोट	8 क्यू. क्यू. 214252
30.	500 रूपये का एक नोट	7 एफ.डी. 158070
31.	500 रूपये का एक नोट	4 सी.एस0 502356
32.	500 रूपये का एक नोट	0 डब्ल्यू. यू. 741443
33.	500 रूपये का एक नोट	2 ई.आर. 208322
34.	500 रूपये का एक नोट	6 बी.एफ. 719771
35.	500 रूपये का एक नोट	9 एच.एफ. 637919
36.	500 रूपये का एक नोट	1 जी.सी. 266200
37.	500 रूपये का एक नोट	8 एन.ए. 117754
38.	500 रूपये का एक नोट	4 एम.पी. 568099
39.	500 रूपये का एक नोट	9 डब्ल्यू. डी. 121205
40.	500 रूपये का एक नोट	3 जी.यू. 133419
41.	500 रूपये का एक नोट	5 क्यू.टी. 555423
42.	500 रूपये का एक नोट	3 के.एफ. 722356
43.	500 रूपये का एक नोट	2 बी.जी. 545212
44.	500 रूपये का एक नोट	5 डब्ल्यू. क्यू. 468607
45.	500 रूपये का एक नोट	8 एफ.एच. 060683
46.	500 रूपये का एक नोट	8 एम.आर. 559763
47.	500 रूपये का एक नोट	4 जी.एल. 988182
48.	500 रूपये का एक नोट	3 डब्ल्यू. आर. 930942
49.	500 रूपये का एक नोट	6 ई.के. 216599
50.	500 रूपये का एक नोट	0 एफ.डब्ल्यू. 869921

उपरोक्त बरामदा कुल राशि 25,000 रू. के नोटो को कब्जा एसीबी लिया जाकर, इन नोटो पर सफेद कपड़े की एक चिट् लगाई जाकर, चिट् पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन नोटो को एक तरफ से सील चस्पा किया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। सहआरोपी श्री वीणाराम द्वारा रिश्वती राशि नब्बू खां मार्केट नाचना स्थित परिवादी के

किराये के कमरे पर प्राप्त की गई थी, उक्त स्थान का रूबरू मौतबिरान विधिवत फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान श्री दुर्गसिंह कानि. 498 ने दस्तयाब सुदा आरोपी श्री अरूण कुमार सहायक कृषि अधिकारी के बीकानेर स्थित रहवास का पता मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर जरिये वॉटसअप प्रेषित किया, जिस पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर को आरोपी अरूण कुमार के बीकानेर स्थित रहवास की खाना तलाशी करवाने हेतु भ्रनिब्यूरो बीकानेर को निर्देशित करने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 29.04.2022 को वक्त 08.25 पी.एम. पर श्री शेराराम कानि. चालक मय ब्यूरो जाब्ता के पुलिस थाना नाचना में हाजिर आया व दस्तयाब सुदा आरोपी श्री अरूण कुमार सहायक कृषि अधिकारी को मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश कर बताया कि आरोपी की तलास सूत्र सूचना अनुसार खारा टावरीवाला, बीकमपुर, 155 आरडी, लुण्डायत, मदासर, जालूवाला आदि स्थानो पर की गई। तलास के दौरान आरोपी श्री अरूण कुमार ग्राम जालूवाला के चक 2 टी.डब्ल्यू.एम. के काश्तकार जेठूसिंह पुत्र भूरसिंह के मुरबे पर डिग्गी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए मिला, जहां से दस्तयाब कर आपके समक्ष पेश किया है। जिस पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू श्री अरूण कुमार से परिवादी श्री चैनाराम से किसी प्रकार की रिश्वत राशि की मांग करना व सह आरोपी श्री वीणाराम को देने हेतु पूछा गया तो श्री अरूण कुमार ने इनकार किया। तत्पश्चात पूर्व से अभिरक्षा में मौजूद सह आरोपी श्री वीणाराम व आरोपी श्री अरूण कुमार को रूबरू स्वतंत्र गवाहान आमने–सामने बैठाकर रिश्वती राशि बाबत पूछा गया तो सह आरोपी श्री वीणाराम ने बताया कि मैं श्री अरूण कुमार को काफी समय से जानता हूं, श्री चैनाराम मेघवाल निवासी सत्याया को भी जानता हूं। श्री चैनाराम के खेत में डिग्गी निर्माण कार्य कृषि विभाग बीकमपुर से स्वीकृत हुआ था। उक्त डिग्गी निर्माण पेटे 3.00 लाख रू. अनुदान की राशि श्री चैनाराम को मिलनी थी, जो राशि श्री अरूण कुमार के द्वारा ही दिलवाई जानी थी। उक्त अनुदान राशि दिलवाने के पेटे श्री अरूण कुमार ने श्री चैनाराम से एक लाख रूपये की राशि मांगी थी, बाद में उक्त राशि कम करके 80,000 रू. देने हेतु कहा था तथा श्री चैनाराम को प्रथम किस्त की राशि 2.00 लाख रू. प्राप्त होने पर मेरे द्वारा श्री अरूण कुमार के कहे अनुसार श्री चैनाराम से 50,000 रू. की राशि प्राप्त कर श्री स्वर्णसिंह सुपरवाईजर कृषि विभाग को दी थी। तत्पश्चात अभी कुछ दिन पूर्व श्री चैनाराम के खाते में अनुदान की द्वितीय किस्त 1.00 लाख रू. की राशि जमा होने पर श्री अरूण कुमार ने मुझे कल ही श्री चैनाराम से 25000 रू. की राशि प्राप्त कर उन्हें देने के लिए कहा था। उसी के अनुक्रम में मेरे द्वारा आज श्री चैनाराम से 25000 रू. की राशि श्री अरूण कुमार के लिए प्राप्त की गई थी, जो उनको देनी थी परन्तु उससे पूर्व ही आपने मुझे पकड़ लिया। आरोपी श्री अरूण कुमार द्वारा सह आरोपी श्री वीणाराम के उक्त कथनो को नकारा व कोई प्रत्युत्तर नही दिया। पुनः तसल्ली देकर पूछने पर श्री वीणाराम ने अपने उक्त कथनो को दोहराया व श्री अरूण कुमार निरूत्तर रहा। आरोपी श्री अरूण कुमार काफी चतुर व चालाक व्यक्ति है तथा स्वयं को बचाने के लिए अनुसंधान को गुमराह कर रहा है जबकि रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान उसके द्वारा 25,000 रू. रिश्वत की मांग करना व श्री वीणाराम को देने हेतु कहना पूर्णतया प्रमाणित है। तत्पश्चात दिनांक 29.04.2022 को वक्त 09.10 पी.एम. पर सहआरोपी श्री वीणाराम पुत्र श्री मानसिगाराम जाति मेघवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अवाय तहसील पोकरण जिला जैसलमेर पैशा व्यापार फर्म मां दुर्गा एग्रो सेन्टर नाचना जिला जैसलमेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भादसं. से आगाह कर छूकर विधिवत गिरफतार किया जाकर गिरफतारी की सूचना उनके बडे भाई श्री मोहनलाल को दी गई। फर्द गिरफतारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 29.04.2022 को वक्त 9.35 पी.एम. पर आरोपी श्री अरूण कुमार चाहर पुत्र श्री अवतार सिंह जाति जाट उम्र 37 वर्ष, निवासी पश्चिमी जौहड़ी ग्राम पिचानवां खुर्द पोस्ट पिचानवां तहसील सूरजगढ जिला झुन्झूनू हाल निवासी बी–208, मनीष गार्डन के पीछे, सादुलगंज, बीकानेर हाल सहायक कृषि अधिकारी, सिंचित क्षैत्र विकास, इगानप बीकमपुर मु0 चारणवाला जिला बीकानेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं

120 बी. भादसं. से आगाह कर छूकर विधिवत गिरफतार किया जाकर गिरफतारी की सूचना उनके सहकर्मी श्री महेन्द्र सिंह कृषि पर्यवेक्षक को दी गई। फर्द गिरफतारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड परिवादी चैनाराम व दलाल वीणाराम के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन देन वार्ता दिनांक 29.04.2022 को विभागीय लेपटॉप की माध्यम से रूबरू गवाहान व परिवादी के सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त वार्तालाप की विभागीय लेपटाप मे कॉपी की जाकर लेपटॉप की मदद से तीन सिडियां तैयार कर, उक्त तीनो सीडियो पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त तीनो सिडियो में से एक सीडी को मूल मानकर कपडे की थैली मे डालकर थैली की सिलाई कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को सील्ड मोहर किया गया व दो सिडियो को डब मानकर खुला रहने दिया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही के दौरान लिये गये धोवनो की छः सीलशुदा शीशियां, सील्ड शुदा बरामद रिश्वती राशि 25,000 रूपये, पायजामा का सिल्डशुदा पैकेट, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व दो खुली डब सीडी, ट्रेप बाक्स, जब्त सुदा दोनो आरोपीगण के मोबाईल, डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेपटाप प्रिन्टर इत्यादि मालखाना आईटम साथ लेकर मन् अनिल शर्मा निरीक्षक पुलिस मय समस्त ब्यूरो जाब्ता, दोनो स्वतंत्र गवाहान व गिरफतार सुदा अभियुक्तगण श्री वीणाराम व श्री अरूण कुमार के साथ लाये वाहनो से ही ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर के लिए रवाना हुआ। परिवादी श्री चैनाराम को मौके पर ग्राम नाचना में रूखसत दी गई। दिनांक 30.04.2022 को वक्त 02.10 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में पहुंच श्री शेराराम कानि. चालक द्वारा पूर्व में लाये गये प्राईवेट वाहन तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रवीर सिंह एवं श्री रवि चौधरी को रूखसत कर ईजाजत वापसी दी गई। तत्पश्चात मालखाना प्रभारी श्री जेठाराम हैड कानि. नंबर 53 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान लिये गये धोवनो की छः सीलशुदा शीशियां, सील्ड शुदा बरामद रिश्वती राशि 25,000 रूपये, पायजामा का सिल्डशुदा पैकेट, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व दो खुली डब सीडी, ट्रेप बाक्स, जब्त सुदा दोनो आरोपीगण के मोबाईल, डिजिटल वॉयस रिकार्डर इत्यादि मालखाना आईटम सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर के नाम एक तहरीर जारी कर श्री दुर्गसिंह कानि. 498, श्री किसनाराम कानि. 238, श्री संग्राम सिंह कानि. 536 को आरोपीगण श्री अरूण कुमार एवं श्री वीणाराम के साथ जरिये सरकारी वाहन पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर भेजकर जमा हवालात करवाया गया। दिनांक 30.4.2022 को वक्त 09.15 ए.एम. पर प्रमुख चिकित्साधिकारी, राजकीय श्री जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर के नाम तहरीर जारी कर श्री दुर्गसिंह कानि. 498 को देकर श्री भीमसिंह कानि. 446 के साथ जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री शेराराम भेजकर आरोपीगण श्री अरूण कुमार एवं श्री वीणाराम को पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर से प्राप्त कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 की जांच करवाई गई। उक्त दोनो गिरफतार सुदा आरोपीगण श्री अरूण कुमार एवं श्री वीणाराम को आज दिनांक 30.04.2022 को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर के समक्ष पेश किया जा रहा है।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्तगण (1) श्री अरूण कुमार चाहर पुत्र श्री अवतार सिंह जाति जाट उम्र 37 वर्ष, निवासी पश्चिमी जौहड़ी ग्राम पिचानवां खुर्द पोस्ट पिचानवां तहसील सूरजगढ जिला झुन्झूनू हाल निवासी बी–208, मनीष गार्डन के पीछे, सादुलगंज, बीकानेर हाल सहायक कृषि अधिकारी, सिंचित क्षैत्र विकास, इगानप बीकमपुर मु0 चारणवाला जिला बीकानेर (2) सहआरोपी दलाल श्री वीणाराम पुत्र श्री मानसिगाराम जाति मेघवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अवाय तहसील पोकरण जिला जैसलमेर पैशा व्यापार फर्म मां दुर्गा एग्रो सेन्टर नाचना जिला जैसलमेर द्वारा परिवादी श्री चैनाराम के खेत में डिग्गी निर्माण कार्य कृषि विभाग बीकमपुर से स्वीकृत अनुदान राशि 3.00 लाख रू. का भुगतान कराने के एवज में श्री अरुण कुमार द्वारा रिश्वत राशि 80,000/– रुपये मांग करना, जिसमे से 50,000/– रुपये दलाल श्री वीणाराम के मार्फत पूर्व मे प्राप्त करना, शेष रिश्वती राशि

30,000/– रुपये देने का दबाव बनाने पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 28.04.2022 के दौरान परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने की विनती करने पर आरोपी श्री अरुण कुमार द्वारा रिश्वती राशि 25,000/– रुपये मांग कर रिश्वती राशि 25000 रू. दलाल श्री वीणाराम को देने हेतु कहना, उसी के अनुरूप दिनांक 29.04.2022 को सहआरोपी श्री वीणाराम दलाल द्वारा 25000 रू. रिश्वत राशि प्राप्त करने इत्यादि का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादसं. का कारित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा इस प्रकरण की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते अपराध पंजीयन ब्यूरों मुख्यालय जयपुर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन करवाकर अनुसंधान के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

(अनिल शर्मा)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिल शर्मा पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी में आरोपीगण 1. श्री अरूण कुमार, सहायक कृषि अधिकारी, सिंचित क्षैत्र विकास, इगानप बीकमपुर मु.चारणवाला जिला बीकानेर एवं 2. श्री वीणाराम पुत्र श्री मानसिंगाराम निवासी ग्राम व पोस्ट अवाय, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 153/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1343-47 दिनांक 30.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।